

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

कृषित्तिय-आदेश

अप0-3/एच0-5-04/99-कट0-349-पटना-15, दिनांक 11 स्व दिसम्बर, 2000

सरकार द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों एवं नदाधिकारियों की सुविधा के मते
नजर रमजान के अवधि के लिये निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय आने तथा निर्धारित
समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।


यह आदेश स्थायी रूप से प्रत्येक वर्ष के लिये प्रभावी रहेगा।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

कॉप सं0-3/एच5-04/99-कट0-349-पटना-15, दिनांक 11 दिसम्बर, 2000

कृषित्तिय सरकार के सभी विभाग एवं संगठन कार्यालय/महलिखाकार, बिहार,
पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु
अनुसारित।


सरकार के उप सचिव।